संख्या-164/2020/3575/26-3-2020-4(358)/07 टी.सी.।।।

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर 2020

विषय:- **वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने सत्यापन लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु नवीन समय-सारिणी निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2685/स0क0/शिक्षा-अ/ 07/28/2020-21, दिनांक-17.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र-2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापन, लाक करने एवं छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से वितरण हेतु संशोधित समय-सारिणी निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में नवीन समय-सारिणी में निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

कक्षा 11-12 एवं अन्य दशमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण (Renewal) के छात्र/छात्राओं हेतु

क0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	नवीन समयावधि कक्षा 11–12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु (2020–21)
1	2	3
1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना।	10 जनवरी 2021 तक
2	छात्र/छात्रा द्वारा किये गये आनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों (हाईस्कूल, इण्टरमीडियट रोल नम्बर तथा आय, जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक तथा आवेदन का क्रमांक) को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्ट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में।
3	ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 04 दिन के अन्दर, विलम्बतम 14 जनवरी 2021 तक
4	छात्र/छात्रा द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं सलग्न अभिलेखों से छात्र/छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करना, सत्यापित, वापस एवं अग्रसारित करना।	15 जनवरी 2021 तक
5	छात्र/छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण (Renewal) न करने का कारण संस्था द्वारा	20 जनवरी 2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	आनलाइन छात्र/छात्रा के सम्मुख यथा स्थान अंकित किया जाना एवं जिलाधिकारी के निर्देशन में जनपदीय अधिकारियों, शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा टीम बनाकर संस्था एवं छात्र/छात्राओं का भौतिक सत्यापन किया जाना।	
6	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11–12 हेतु) एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंगएजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता, वास्तविक छात्र संख्या आदि की प्रमाणिकता को ऑनलाईन सत्यापित करना।	21 जनवरी, 2021 तक
7	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	16जनवरी, 2021से 31 जनवरी, 2021 तक
8	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लॉक किया जाना।	22 फरवरी, 2021 तक
9	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सहित छात्र, संस्था एवं कल्याण अधिकारियों के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक करके पुनः आवेदन आनलाइन सबमिट किया जाना।	01 फरवरी, 2021 से 10 फरवरी, 2021 तक
10	आनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके छात्र–छात्राओं द्वारा समस्त वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 02 दिन के अन्दर विलम्बतम 12 फरवरी, 2021 तक
11	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये आनलाइन आवेदन पत्र की हार्डकापी एवं संलग्न अभिलेखों से छात्र–छात्रा के समस्त विवरण का शिक्षण संस्थान द्वारा मिलान किया जाना एवं आनलाइन आवेदन पुनः प्राप्त करना, सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	13 फरवरी, 2021 तक
12	छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में विभिन्न निर्धारित बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	14 फरवरी, 2021 से 22 फरवरी, 2021 तक
13	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सन्देहास्पद एवं छात्र/छात्रा द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा के सम्बन्ध में निर्णय के उपरान्त समस्त पात्र छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	23 फरवरी, 2021 से 15 मार्च, 2021 तक
14	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मॉग सृजित कराना।	20 मार्च, 2021 तक
15	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर	25 मार्च 2021 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई–पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/ छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	

नोटः-

1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी/उत्तीर्ण/प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेगें।

2- छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल/दोनो सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में Result Not Yet Declared आप्सन चुनते हुए आनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डाटा संन्देहास्पद श्रेणी में रहेगा तथा समय सारिणी में संदेहास्पद डाटा को सही करने की समयावधि (01 फरवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक) अनिवार्य रूप से परीक्षाफल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से अग्रसारित कराना होगा। परीक्षाफल न निकलने अथवा छात्र द्वारा आवेदन पूर्ण न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जायेगा।

3- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए)का प्राप्तांक एवं पूर्णांक भरना अनिवार्य होगा।

4- विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी परीक्षा परिणाम घोषित होते ही तत्काल अपलोड करेगें।

5- छात्र के आधार तथा आधार से लिंक मोबाइल पर प्राप्त ओ0टी0पी0 से प्रमाणीकरण आवेदन करने के लिए अनिवार्य होगा।

6- शासनादेश संख्या-84/2020/1332/26-3-2020-4(358)/07टी0सी0 पपप दिनांक 15 जून, 2020 एवं शासनादेश संख्या-134/2020/2846/26-3-2020-4 (358)/ 07टी0सी0 पपप दिनांक 26 अक्टूबर, 2020 को जारी समय-सारिणी यथावत् लागू रहेगी तथा दिनांक 15 जून 2020 द्वारा जारी समय-सारिणी के अनुसार कक्षा-11 व 12 एवं अन्य उच्च कक्षाओं में छात्रों के आनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 05 नवम्बर, 2020 तक भरे गये आवेदन पत्रों में से पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को दिनांक 26 जनवरी, 2021 की निर्धारित तिथि पर कोविड-19 की स्थिति के अनुसार शासन के निर्णयोंपरान्त पूर्व की भाँति समारोह आयोजित कर भुगतान किया जायेगा।

7- शासनादेश संख्या-463/26-3-2019, दिनांक-30.01.2019 द्वारा कई चरणों में समय-सारिणी निर्गत होने पर प्राविधान किया गया है कि प्रथम समय-सारिणी के अन्तर्गत ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को सर्वप्रथम धनराशि प्रदान की जायेगी। उसके पश्चात द्वितीय समय-सारिणी के अन्तर्गत खोले गये पोर्टल के तहत आनलाइन आवेदन करने वाले छात्र वरीयता में प्रथम समय-सारिणी के छात्रों से नीचे रहेंगे। इसी प्रकार अग्रेतर समय-सारिणी जारी होने के तहत पोर्टल खोले जाने पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले छात्र तद्नुसार पूर्व के छात्रों से वरीयता में नीचे रहेंगे।

अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-164/2020/3575 (1)/26-3-2020 तद्दिनंाकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।

6- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0लखनऊ।

7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।

9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।

10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।